

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 14/2020 - सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 2020

सा.नि.का. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना संख्या 24/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015, जिसे सा.का.नि. 269 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, उपवाक्य के (ख) पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते की उक्त पर्ची, जिसके विरुद्ध भारत में आयातित माल को उपरोक्त उपवाक्य और उपवाक्य (क) में (ख) उल्लेखित शुल्कों से छूट मिलती है, में विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.25 के अनुसार 2 % अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के तहत मिलने वाली शुल्क जमा भी शामिल हो सकती है।”;

(ख) पैराग्राफ (2) में, शर्त (1), में उपवाक्य (ख) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते की उक्त पर्ची में 2 अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के तहत मिलने वाली शुल्क जमा %निम्न वस्तुओं के निर्यात के एवज़ में प्रदान किये जाएंगे, नामश:-

(i) मोबाइल फ़ोन, पुश बटन प्रकार के अतिरिक्त; और

(ii) मोबाइल फ़ोन, पुश बटन प्रकार,

जो की एच एस कोड टैरिफ आइटम क्रमशः / 85171211 और 85171219 के तहत आते हैं और जिनका लेट एक्सपोर्ट आर्डर दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक हो।”

[फा सं. 605/04/2020-डीबीके]

गोपाल कृष्णा झा  
निदेशक, प्रतिअदायगी

नोट :-

प्रधान अधिसूचना सं. 24/2015-सीमाशुल्क दिनांक 8 अप्रैल, 2015 सा.का.नि.सं. 269 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित हुआ था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं.63/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 18 सितम्बर, 2019 जिसे सा.का.नि. 892 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।